न्यायालय–ठाकुर अमन कुमार जि0अ0स0न्या0, तृतीय, पूर्णियॉ	सदर थाना काण्ड संख्या–595 / 2025 धारा 331(4),305(a) एवं 317(5) बीएनएस अमर कुमार बनाम बिहार राज्य

न्यायालय – तृतीय जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, पूर्णियॉ
जमानत आवेदन संख्या –59 / 2026
सी.आई.एस. संख्या – 59 / 2026

24.03.2026– दिनांक–04.12.2025 से न्यायिक अभिरक्षा में काराधीन अभियुक्त **अमर कुमार** की ओर से सदर थाना काण्ड संख्या–595 / 2025, अंर्तगत धारा 331(4), 305(a) एवं 317(5) बीएनएस में श्रीमान प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश के न्यायालय में जमानत आवेदन दिनांक–16.01.2026 को दाखिल किया गया, जिसकी प्रति विद्वान लोक अभियोजक को सेवित की गयी है तथा माननीय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश के आदेशानुसार स्थानान्तरित होकर दिनांक–17.01. 2026 को इस न्यायालय में प्राप्त हुआ है।

2. आवेदक की ओर से उनके विद्वान अधिवक्ता श्री प्रणव किशोर आनन्द एवं राज्य की ओर से विद्वान अपर लोक अभियोजक श्री अजय सिंह को सुना एवं अभिलेख का अवलोकन किया।

3. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि आवेदक निर्दोष है उसने कोई अपराध नहीं किया है। आवेदक की ओर से कोई भी अग्रिम या नियमित जमानत आवेदन इस न्यायालय अथवा माननीय उच्च न्यायालय, पटना में दाखिल नहीं किया गया है। आवेदक को इस वाद में ग्रामीण गंदी राजनीति के तहत झूठा फंसाया गया है। आवेदक के विरूद्ध अभियोग झूठा, बनावटी एवं मनगढ़ंत है। आवेदक का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। आवेदक का नाम सह अभियुक्त सोहन कुमार के स्वीकारोक्ति बयान के आधार पर आया है। आवेदक प्राथमिकी के नामजद अभियुक्त नहीं है। आवेदक 04.12.2025 से न्यायिक अभिरक्षा में है। आवेदक न्यायालय द्वारा अधिरोपित सभी शर्तों को मानने के लिए तैयार है। अतः आवेदक को जमानत की सुविधा प्रदान करने की कृपा की जाय।

4. सूचक जितेन्द्र कुमार वैद्य के लिखित आवेदन के आलोक में अभियोजनवाद संक्षेप में इस प्रकार है कि दिनांक 23.11.2025 को मैं अपने पूरे परिवार के साथ अपनी बेटी की भाादी के लिए रायपुर छतिसगढ़ गया हुआ था। दिनांक 29.11.20254 को सुबह करीब 6:30 बजे मेरा भाई घर आया तो देखा कि घर के मेन गेट का ताला टुटा है और घर के सभी दरवाजे का ताला भी टुटा हुआ था, घर सारा बिखरा हुआ था और अलमारी भी टुटा हुआ था। पलंग भी टूटा था और घर से नगद पॉच लाख पचास हजार रूपये, चॉदी का सामान, चॉदी का दो जग, चॉदी का बड़ा ग्लास,–5 पीस ,चॉदी का थाली एक पीस, चॉदी का प्याला–6 पीस, चॉदी का मछली एक पीस, चॉदी का बड़ा सिक्का 100–50 ग्राम का–25 पीस, चॉदी का 10 ग्राम का सिक्का–110 पीस,सोने की अंगूठी तीन पसी, सोने का मंगलसूत्र एक पीस, सोने का फुल सेट दो पीस, सोने की मोती का सेट एक पीस सोने की डली दस ग्राम का दो पीस, चोरी हो गया है। इसके अलावा भी बहुत ऐसे सोने और चॉदी के सामान है जो हमे याद नहीं आ रहा है।

5. विद्वान अपर लोक अभियोजक द्वारा आवेदक का जमानत का विरोध किया गया।

6. उभय पक्ष को सुना एवं अभिलेख का अवलोकन किया। अभिलेख अवलोकन से विदित होता है कि प्रस्तुत वाद में आवेदक अभियुक्त पर अभियोग है कि उसने सूचक के बंद घर का ताला तोड़ते हुए, उसके घर में घुसकर उसके घर से कीमती सोने चॉदी के आभूशण एवं नगद 5.50 लाख रूपये अपने सहयोगी साथी के साथ मिलकर चुरा लिया। वाद की सुनवाई के दौरान अद्यतन काण्ड दैनिकी एवं मूल अभिलेख की मांग की गयी जो प्राप्त है। मूल अभिलेख के अवलोकन से विदित होता है कि आवेदक अभियुक्त के विरूद्ध न्यायालय द्वारा

न्यायालय – तृतीय जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, पूर्णियॉ
जमानत आवेदन संख्या –59 / 2026
सी.आई.एस. संख्या – 59 / 2026

दिनांक 07.03.2026 को आरोप का गठन किया जा चुका है। सह अभियक्तगण को पूर्व में 01. 02.2026 एवं 12.03.2026 को जमानत की सुविधा प्रदान की जा चुकी है। आवेदक अभियुक्त दिनांक 04.12.2025 से न्यायिक अभिरक्षा में है।

7. वाद की उपरोक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों में तथा अभियुक्त द्वारा कारा में बिताये गये अवधि को दृष्टिगत रखते हुये आवेदक अभियुक्त **अमर कुमार** को मो0–10,000 / – रूपये के तथा इतने ही राशि के दो समान प्रतिभूओं के साथ जमानत बंध पत्र दाखिल करने पर जमानत पर मुक्त करने का आदेश इस शर्त के अधीन दिया जाता है कि **1. एक जमानतदार उसके नजदीकी रिस्तेदार होगा एवं 2. न्यायालय की सभी तिथियों में लगातार सदेह उप. स्थित रहेगा।**

दिनांक–24.03.2026

(लेखापित)
ह0 / –
(ठाकुर अमन कुमार)
तृतीय, जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश,
पूर्णियॉ।

–